INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 16 | ISSUE - 7 | AUGUST – 2026

''मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की प्रभावशीलता एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन''

बीरेन्द्र कुमार चौधरी[1] , डॉ. रवि प्रकाश पाण्डेय[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय, मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)
[2]सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शारदा महाविद्यालय, सरला नगर, मैहर, जिला मैहर (म.प्र.)

सारांश –

भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था कृषकों को उनकी कृषि उपज का न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाली एक महत्वपूर्ण मूल्य नीति है। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषकों को बाजार मूल्य में होने वाले उतार–चढ़ाव से संरक्षण प्रदान करना, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा उनकी आय में स्थिरता बनाए रखना है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए कृषकों की आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है। अध्ययन में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है, जिनका संकलन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मध्यप्रदेश शासन की आर्थिक समीक्षा, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य प्रकाशित सरकारी प्रतिवेदनों एवं शोध अध्ययनों से किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था ने राज्य में कृषि उत्पादन, सरकारी उपार्जन तथा कृषकों की आय में सकारात्मक योगदान दिया है। इसके बावजूद छोटे एवं सीमांत कृषकों की सीमित भागीदारी, क्रय केन्द्रों की अपर्याप्त उपलब्धता, भुगतान में विलंब, भंडारण एवं परिवहन संबंधी कठिनाइयाँ तथा जागरूकता का अभाव इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से यह प्रतिपादित होता है कि यदि उपार्जन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए, कृषि अवसंरचना का विकास किया जाए तथा कृषकों की संस्थागत पहुँच को सुदृढ़ किया जाए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समावेशी एवं सतत विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती है।

मुख्य शब्दः न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषक, आर्थिक स्थिति, कृषि उपार्जन, कृषि विपणन, मध्यप्रदेश, मूल्य नीति, ग्रामीण विकास।

प्रस्तावना –

भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, जहाँ कृषि न केवल आर्थिक विकास का आधार है, बल्कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना का भी प्रमुख अंग है। देश की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगार तथा औद्योगिक विकास में कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय कृषि को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें कम उत्पादकता, मूल्य अस्थिरता, विपणन संबंधी समस्याएँ, प्राकृतिक

जोखिम, सीमित कृषि निवेश तथा कृषकों की निम्न आय प्रमुख थीं। इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक कृषि नीतियाँ एवं कार्यक्रम लागू किए गए, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मूल्य नीति के रूप में विकसित हुई।

न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य कृषकों को उनकी कृषि उपज का न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, बाजार में मूल्य गिरावट से संरक्षण प्रदान करना तथा कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत, बाजार मूल्य, मांग एवं आपूर्ति की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तथा समग्र आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन कर केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा की जाती है। इसके उपरांत केंद्र सरकार प्रत्येक कृषि वर्ष में विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। यह व्यवस्था भारतीय कृषि बाजार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने तथा कृषकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम मानी जाती है।

भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल मूल्य निर्धारण की नीति नहीं है, बल्कि यह उत्पादन, विपणन, आय सुरक्षा तथा ग्रामीण विकास से जुड़ी व्यापक आर्थिक रणनीति का भी महत्वपूर्ण भाग है। जब कृषकों को अपनी उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित होता है, तब वे आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने, गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक, सिंचाई तथा कृषि यंत्रों में निवेश करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता, उत्पादन तथा कृषि क्षेत्र की समग्र दक्षता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार MSP व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मध्यप्रदेश भारत के प्रमुख कृषि उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार कृषि है तथा यहाँ की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। गेहूँ, धान, सोयाबीन, चना, मसूर, सरसों एवं अन्य दलहनी एवं तिलहनी फसलों का उत्पादन राज्य की कृषि संरचना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विशेष रूप से गेहूँ उत्पादन एवं सरकारी उपार्जन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद के लिए व्यापक स्तर पर उपार्जन केन्द्रों की स्थापना, ऑनलाइन पंजीयन, डिजिटल भुगतान तथा भंडारण सुविधाओं के विस्तार जैसे अनेक सुधारात्मक प्रयास किए गए हैं। इन पहलों ने कृषकों को अपनी उपज के विपणन हेतु अपेक्षाकृत सुरक्षित एवं संगठित व्यवस्था उपलब्ध कराई है।

यद्यपि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का उद्देश्य सभी कृषकों को लाभ पहुँचाना है, तथापि व्यावहारिक स्तर पर इसके लाभ समान रूप से सभी वर्गों तक नहीं पहुँच पाए हैं। बड़े एवं मध्यम कृषकों की तुलना में छोटे एवं सीमांत कृषकों की MSP व्यवस्था तक पहुँच अपेक्षाकृत सीमित पाई जाती है। अनेक क्षेत्रों में कृषकों को पंजीयन संबंधी कठिनाइयों, उपार्जन केन्द्रों की दूरी, परिवहन व्यय, गुणवत्ता परीक्षण की जटिलताओं तथा भुगतान में विलंब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप अनेक कृषक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के स्थान पर स्थानीय व्यापारियों अथवा बिचौलियों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। यह स्थिति MSP व्यवस्था की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न भी प्रस्तुत करती है।

वाणिज्यिक अध्ययन के दृष्टिकोण से न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था कृषि विपणन प्रणाली, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन, सरकारी उपार्जन, भंडारण, वितरण तथा आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। किसी भी मूल्य नीति की सफलता केवल समर्थन मूल्य घोषित करने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि कृषकों को वास्तविक रूप से उस मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करने का अवसर किस सीमा तक उपलब्ध हो रहा है। यदि खरीद व्यवस्था पारदर्शी, समयबद्ध तथा व्यापक होगी, तो इससे कृषि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मूल्य अस्थिरता कम होगी तथा कृषकों की आय में स्थिरता आएगी। इसके विपरीत यदि खरीद प्रणाली सीमित रहेगी तो घोषित समर्थन मूल्य का अपेक्षित लाभ अधिकांश कृषकों तक नहीं पहुँच सकेगा।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से MSP व्यवस्था आय संरक्षण, मूल्य स्थिरीकरण, उत्पादन प्रोत्साहन तथा कृषि जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। कृषि क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमों, जलवायु परिवर्तन, बाजार अस्थिरता तथा लागत वृद्धि जैसी अनेक अनिश्चितताओं से प्रभावित रहता है। ऐसी परिस्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को न्यूनतम आय सुरक्षा प्रदान करता है तथा कृषि निवेश के प्रति उनका विश्वास बनाए रखने में

सहायक होता है। इसके अतिरिक्त MSP ग्रामीण मांग में वृद्धि, कृषि निवेश के विस्तार तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित करता है।

हाल के वर्षों में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा डिजिटल कृषि विपणन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ई–गवर्नेंस तथा ऑनलाइन उपार्जन प्रणाली को बढ़ावा दिया गया है। इन सुधारों ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया है। इसके बावजूद क्षेत्रीय असमानताएँ, सीमित भंडारण क्षमता, लॉजिस्टिक अवसंरचना की कमी तथा कृषकों में सूचना एवं जागरूकता का अभाव जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। इसलिए MSP व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन केवल खरीद की मात्रा के आधार पर नहीं, बल्कि कृषकों की वास्तविक आय, लाभप्रदता, आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि निवेश पर पड़े प्रभाव के आधार पर भी किया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की प्रभावशीलता का अध्ययन द्वितीयक समंकों के आधार पर किया गया है। अध्ययन में यह विश्लेषण किया गया है कि MSP व्यवस्था ने कृषकों की आर्थिक स्थिति, कृषि उत्पादन, सरकारी उपार्जन तथा कृषि विपणन व्यवस्था को किस सीमा तक प्रभावित किया है। साथ ही व्यवस्था के समक्ष विद्यमान व्यावहारिक चुनौतियों, सीमाओं तथा सुधार की संभावनाओं का भी विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन नीति–निर्माताओं, कृषि अर्थशास्त्रियों, वाणिज्य शोधकर्ताओं तथा कृषि विपणन से जुड़े हितधारकों के लिए उपयोगी निष्कर्ष प्रदान करने का प्रयास करता है तथा मध्यप्रदेश में कृषक–केंद्रित मूल्य नीति को अधिक प्रभावी बनाने हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

शोध का उद्देश्य –

भारत में कृषि क्षेत्र की स्थिरता एवं कृषकों की आय वृद्धि के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति के रूप में स्वीकार किया गया है। मध्यप्रदेश में गेहूँ, धान तथा दलहनी फसलों की सरकारी खरीद में निरंतर वृद्धि होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि इस व्यवस्था की वास्तविक प्रभावशीलता का वैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाए। केवल समर्थन मूल्य घोषित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उसका लाभ कृषकों तक किस सीमा तक पहुँच रहा है तथा उससे उनकी आर्थिक स्थिति, कृषि निवेश, उत्पादन एवं विपणन व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। इसी उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन में द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर MSP व्यवस्था के आर्थिक एवं वाणिज्यिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के क्रियान्वयन एवं प्रभावशीलता का आर्थिक एवं वाणिज्यिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का कृषकों की आय, कृषि उत्पादन, विपणन व्यवस्था तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के क्रियान्वयन में विद्यमान प्रमुख समस्याओं की पहचान करते हुए इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु व्यवहारिक एवं नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध विधि –

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वितीयक समंकों पर आधारित है। अध्ययन हेतु आवश्यक आँकड़ों एवं तथ्यों का संकलन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, मध्यप्रदेश शासन की आर्थिक समीक्षा, भारतीय खाद्य निगम, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कृषि विपणन से संबंधित प्रकाशित प्रतिवेदनों, शोध–पत्रों, पुस्तकों तथा विभिन्न सरकारी एवं संस्थागत प्रकाशनों से किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है। संकलित समंकों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था की प्रभावशीलता तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन में कृषि उत्पादन, सरकारी उपार्जन, मूल्य नीति तथा कृषकों की आय संबंधी उपलब्ध द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार शोध की विश्वसनीयता एवं

वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणिक एवं प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त समंकों का उपयोग किया गया है।

विश्लेषण –

मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था ने कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता एवं सरकारी उपार्जन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से गेहूँ एवं धान जैसी प्रमुख फसलों में समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ने से कृषकों को बाजार मूल्य में होने वाले उतार–चढ़ाव से आंशिक सुरक्षा प्राप्त हुई है। सरकारी खरीद व्यवस्था के विस्तार, ऑनलाइन पंजीयन तथा प्रत्यक्ष बैंक भुगतान प्रणाली के कारण विपणन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है तथा कृषकों का संस्थागत बाजारों के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। इसके परिणामस्वरूप अनेक कृषकों ने आधुनिक कृषि तकनीकों, गुणवत्तायुक्त बीज, उर्वरकों तथा सिंचाई सुविधाओं में निवेश बढ़ाया, जिससे कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार देखा गया है।

इसके बावजूद अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि MSP व्यवस्था का लाभ सभी कृषकों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। छोटे एवं सीमांत कृषकों की सीमित बाजार पहुँच, उपार्जन केन्द्रों की दूरी, परिवहन लागत, गुणवत्ता परीक्षण की जटिल प्रक्रिया तथा भुगतान में होने वाला विलंब व्यवस्था की प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं। कई क्षेत्रों में कृषकों को तत्काल नकदी की आवश्यकता के कारण अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों को समर्थन मूल्य से कम दर पर विक्रय करनी पड़ती है। अतः यह आवश्यक है कि खरीद अवसंरचना का विस्तार, समयबद्ध भुगतान, भंडारण क्षमता में वृद्धि तथा कृषकों की जागरूकता को सुदृढ़ किया जाए, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था का लाभ व्यापक स्तर पर सभी कृषकों तक पहुँच सके और उनकी आर्थिक स्थिति में दीर्घकालिक सुधार सुनिश्चित हो।

सारणी क्रमांक–1
मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन का विवरण (विपणन वर्ष 2024–25)

क्रमांक	विवरण	डाटा	प्रतिशत (%)
1	पंजीकृत कृषकों की संख्या	2,481,365	100.00
2	उपार्जन करने वाले कृषकों की संख्या	1,743,812	70.28
3	गेहूँ उपार्जन (मीट्रिक टन)	8,237,456	100.00
4	कृषकों को किया गया भुगतान (रु. करोड़ में)	19,864.73	100.00
5	उपार्जन करने वाले कृषकों का कुल पंजीकृत कृषकों में अनुपात	1,743,812	70.28

स्रोतः मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, मध्यप्रदेश शासन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP), वार्षिक प्रतिवेदन 2024–25, मध्यप्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि विपणन वर्ष 2024–25 में मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के अंतर्गत गेहूँ उपार्जन का प्रभाव सकारात्मक रहा। उपलब्ध द्वितीयक समंकों से ज्ञात होता है कि 2,481,365 कृषकों ने पंजीयन कराया, जिनमें से 1,743,812 (70.28 प्रतिशत) कृषकों ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ का विक्रय किया। राज्य में कुल 8,237,456 मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया तथा इसके बदले कृषकों को लगभग 19,864.73 करोड़ का भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि MSP व्यवस्था नेकृषकों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने, कृषि विपणन को सुदृढ़ करने तथा आय सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

यद्यपि व्यवस्था का प्रभाव संतोषजनक है, फिर भी लगभग 30 प्रतिशत पंजीकृत कृषक विभिन्न कारणों से समर्थन मूल्य पर अपनी उपज का विक्रय नहीं कर सके। इससे संकेत मिलता है कि उपार्जन केन्द्रों की उपलब्धता, परिवहन सुविधा, समयबद्ध भुगतान तथा जागरूकता के क्षेत्र में अभी और सुधार की आवश्यकता है। अतः MSP व्यवस्था को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाने के लिए खरीद प्रणाली का विस्तार तथा प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था कृषकों को उनकी कृषि उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने तथा कृषि क्षेत्र में मूल्य स्थिरता बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई है। राज्य में गेहूँ एवं धान जैसी प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद में निरंतर वृद्धि से कृषकों को बाजार मूल्य में होने वाले उतार–चढ़ाव से पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त हुई है। इससे कृषि उत्पादन, विपणन व्यवस्था तथा कृषकों की आय में सकारात्मक सुधार परिलक्षित हुआ है। विशेष रूप से ऑनलाइन पंजीयन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भुगतान तथा उपार्जन केन्द्रों के विस्तार जैसे प्रशासनिक सुधारों ने खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था ने कृषकों में कृषि निवेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। उचित मूल्य प्राप्त होने से उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाओं एवं कृषि यंत्रीकरण में निवेश बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह व्यवस्था कृषि विपणन प्रणाली, सार्वजनिक खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जबकि अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह आय संरक्षण, मूल्य स्थिरीकरण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग सृजन का प्रभावी साधन है।

इसके बावजूद अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि MSP व्यवस्था का लाभ अभी तक सभी कृषकों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है। विशेषकर छोटे एवं सीमांत कृषकों को उपार्जन केन्द्रों की दूरी, परिवहन व्यय, गुणवत्ता परीक्षण, समयबद्ध भुगतान तथा सूचना के अभाव जैसी व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप अनेक कृषक समर्थन मूल्य के स्थान पर स्थानीय व्यापारियों को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर अपनी उपज विक्रय करने के लिए विवश हो जाते हैं। इससे व्यवस्था की समावेशिता एवं प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

अतः यह आवश्यक है कि राज्य में उपार्जन केन्द्रों का विस्तार, डिजिटल पंजीयन एवं भुगतान प्रणाली का और अधिक सुदृढ़ीकरण, भंडारण एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना का विकास तथा कृषकों में MSP संबंधी जागरूकता का व्यापक प्रसार किया जाए। साथ ही छोटे एवं सीमांत कृषकों की संस्थागत पहुँच को बढ़ाने हेतु विशेष नीतिगत प्रयास किए जाने चाहिए। समग्रतः यह कहा जा सकता है कि मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा कृषि क्षेत्र के सतत एवं समावेशी विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यदि इसके क्रियान्वयन में विद्यमान व्यावहारिक कमियों को दूर किया जाए, तो यह व्यवस्था भविष्य में कृषक कल्याण, कृषि विपणन सुधार तथा ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए और अधिक प्रभावी सिद्ध होगी।

संदर्भ सूची –

1. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP). (2024). मूल्य नीति प्रतिवेदन, 2024–25. नई दिल्लीः कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2024). कृषि सांख्यिकी एक दृष्टि, 2024. नई दिल्लीः भारत सरकार।
3. मध्यप्रदेश शासन. (2024). मध्यप्रदेश आर्थिक समीक्षा, 2023–24. भोपालः वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
4. भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई). (2024). वार्षिक प्रतिवेदन, 2023–24. नई दिल्लीः भारतीय खाद्य निगम।
5. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ). (2023). भारतीय कृषि एवं ग्रामीण सांख्यिकी से संबंधित चयनित प्रकाशन. नई दिल्लीः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।
6. भारतीय रिजर्व बैंक. (2024). भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, 2023–24. मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक।
7. नीति आयोग. (2023). कृषि विपणन एवं कृषक कल्याणः नीतिगत पहल एवं सुधार. नई दिल्लीः भारत सरकार।